to the Jammu & Kashmir Cadre. [Placed in Library *See* No. LT-171/98] for (1) to (12)

III. A copy (in English and Hindi) of the Economic Survey, for the year 1997-98. [Placed in Library. *See* No. LT-200/98]

**I. Report and Accounts (1996-97) of Gujarat State Seeds Corporation Limited, Gandhinagar and related papers.**

**II. Report and Accounts (1996-97) of State Farms Corporation of India Limited, New Delhi and related papers.**

**III. Report and Accounts (1996-97) of National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board, Gurgaon and related papers.**

**IV. Notification of Ministry of Agriculture.**

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

I. (क) 1996-97 के वर्ष के लिए गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये सं० एस०टी०-166/98]

II. (क) 1996-97 के वर्ष के लिए स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का अठठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये सं० एस०टी०-165/98]

III. (1) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 14 की उपधारा (4) और धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1996-97 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव, हरियाणा का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ii) उपर्युक्त बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये सं० एस०टी०-169/98]

IV. बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां, लेखा, लेखा-परीक्षा, परिसमापन, डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) (संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सा०का०नि० 75 (अ) दिनांक 11 फरवरी, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये सं० एस०टी०-365/98]

## RESIGNATION BY MEMBER

MR. CHAIRMAN: I have to inform the Members that I have received a letter from Shri Sunder Singh Bhandari, a Member representing the State of Rajasthan, resigning his seat in the Rajya Sabha. I have accepted his resignation with effect from 26th Arpil, 1998.

## STATEMENTS REGARDING ORDINANCES

**(i) Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Ordinance, 1998.**

**(ii) Payment of Gratuity (Amendment) Ordinance, 1998.**

**श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया):** मैं उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले दो विवरण (अंग्रेजी